

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक्र.क्रमांक-317/2013

संस्थित दिनांक-24.04.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखण्ड,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1. रिकूदास पिता हरचंददास उम्र-23 वर्ष, जाति पनिका,
निवासी ग्राम मोहगांव थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2. दिनेश पिता बालचंद देशराज उम्र-24 वर्ष, जाति चमार,
निवासी ग्राम मोहगांव थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3. धानूदास पिता सुखदास मांगरे उम्र-26 वर्ष, जाति पनिका,
निवासी ग्राम मोहगांव थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपीगण

- // निर्णय // -

(आज दिनांक-27/03/2015 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34(दो बार) के तहत आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक-26.03.2013 को रात्रि 11:00 बजे फरियादी सुधराम के खेत ग्राम कोल्हियाटोला मोहगांव थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत लोकस्थान में सुधराम को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया व सुधराम व अनिताबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उस सामान्य आशय की अग्रसरण में सुधराम एवं अनिताबाई को लकड़ी व हाथ-मुक्के से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी सुधराम ने दिनांक-09.04.2013 को आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में इस आशय की

प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक-26.03.2013 को रात्रि के 11:00 बजे खेत में चना की रखवाली करने गया था साथ में उसकी पत्नी अनिता भी गई थी तभी मोहगांव कोल्हियाटोला के कुछ लड़के चना मांगने आये तो उन्हें चना थोड़ा-थोड़ा करके सभी को दिया इतने में आरोपीगण गाली-गुप्तार कर हाथ-मुक्के एवं लकड़ी से मारपीट करने लगे। मारपीट करने से उसके सिर में लगा और खून निकलने लगा तथा उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की। फरियादी सुधराम ने घटना दिनांक को ही थाना में उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई किन्तु मामला असंज्ञेय होने से धारा 155 दं.प्र.सं. की रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय की अनुमति के व जांच के उपरांत पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 36/13 अन्तर्गत धारा 294, 323, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, आरोपीगण से घटना में प्रयुक्त लकड़ी जप्त की गई तथा साक्षियों के कथन लिये गये। पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 34 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34(दो बार) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1— क्या आरोपीगण ने दिनांक-26.03.2013 को रात्रि 11:00 बजे फरियादी सुधराम के खेत ग्राम कोल्हियाटोला मोहगांव थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत लोकस्थान में सुधराम को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य

सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2- क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सुधराम व अनिताबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उस सामान्य आशय की अग्रसरण में सुधराम एवं अनिताबाई को लकड़ी व हाथ-मुक्के से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- आहत सुधराम (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना के समय रात के 10-11 बजे उमेश टेम्भरे के खेत में आरोपीगण चना मांगने आये थे। उस समय चना की फसल लगी हुई थी। उसकी माँ ने आरोपीगण को चना दिया तो आरोपीगण और अधिक चना मांगने लगे और आरोपीगण उसे व उसकी पत्नी अनिता को माँ-बहन की गन्दी-गन्दी गालिया दे रहे थे। उसकी पत्नी ने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण रिकूदास एवं उसकी पत्नी को लकड़ी से मारपीट की जब वह समझाने गया तो आरोपी धानूदास और दिनेश ने भी उसके साथ मारपीट की। आरोपीगण ने उसके सिर पर मारा था जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा था उसने घटना की सूचना थाना मलाजखण्ड में दी थी। पुलिस ने उसका तथा उसकी पत्नी का ईलाज शासकीय अस्पताल बिरसा में कराया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना के दूसरे दिन मलाजखण्ड थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। साक्षी का यह भी कथन है कि जब घटना रात्रि को ही वे रिपोर्ट लेख कराने गये थे तो पुलिस को उनके द्वारा आरोपीगण का नाम बताकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। साक्षी ने घटना की रात्रि को अन्धेरा होने से इन्कार किया है। साक्षी ने उसके द्वारा लिखाई सूचना असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट प्रदर्श डी-01 में आरोपीगण का नाम लेख नहीं कराने से इन्कार किया है। यद्यपि उक्त सूचना प्रदर्श डी-01 में साक्षी के द्वारा सूचनाकर्ता के रूप में गांव के कुछ लड़कों द्वारा चना मांगने वाली बात लेख कराई है।

6- उक्त साक्षी ने घटना दिनांक को रात्रि के समय असंज्ञेय अपराध की सूचना प्रदर्श डी-01 लेख कराये जाने से यह प्रकट होता है कि उसने घटना के

तत्काल पश्चात् ही पुलिस को रिपोर्ट की थी तथा घटना के अगले दिनांक असंज्ञेय अपराध होने से न्यायालय की अनुमति के पश्चात् पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 लेख की गई है। सूचना के आधार पर मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 लेख करने वाले साक्षी प्रधान आरक्षक ज्ञानेश्वर उईके (अ.सा.5) ने कथन किया है कि उसने दिनांक-27.03.2012 को प्रार्थी सुधराम की मौखिक रिपोर्ट पर रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी-07 लेख किया था, जिस पर थाना प्रभारी उमरावसिंह के हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण के विरुद्ध जांच के पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 लेख की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार सूचना लेखकर्ता अधिकारी के द्वारा मामले के पूर्व में असंज्ञेय अपराध की सूचना के रूप में रोजनामचा सान्हा दर्ज किये जाने और उसके पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 दर्ज किये जाने की समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

7- अन्य आहत अनिताबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय रात्रि के 10:30-11:00 बजे उमेश के खेत में वह अपने पति सुधराम व उसकी सास जलकुंवर के साथ में थी। उस समय खेत में चने की फसल लगी थी। आरोपीगण उनके खेत में आये और चना की मांग करने पर उनको चना दिया था। आरोपीगण और अधिक चना मांगने लगे और स्वयं चना उखाड़ने लगे तो उन्हें माना किया जिस पर आरोपीगण गाली-गलौच करते हुए आरोपी रिकूदास ने उसे लकड़ी से सिर पर मारा था जिससे खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गई। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बिरसा में हुआ था। घटना के अगले दिन रिपोर्ट लिखाई थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इन्कार किया है कि अन्धेरा होने के कारण वह आरोपीगण को नहीं पहचान पाई थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथनों का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने भी घटना में स्वयं आहत होते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

8— अभियोजन की ओर से स्वतंत्र साक्षी के रूप में प्रस्तुत अन्य साक्षी छोटेला (अ.सा.3) का कथन है कि वह घटना के समय अपने खेत में सोया हुआ था तो उसके खेत के पड़ोस वाले सुधराम के खेत से आवाज आई जब उसने जाकर देखा की आरोपीगण सुधराम के खेत में गाली-गलौच कर रहे हैं। आरोपीगण में से एक लड़के ने डण्डे से मारा था जिससे अनिता सिर पर चोट आई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय रात्रि का अन्धेरा था जिस कारण वह आरोपीगण का चेहरा नहीं देख पाया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने मौके पर आरोपीगण को नहीं देखा था और अन्य लोग मौके पर आये थे जिन्होंने मारपीट की थी। इस प्रकार साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण से हटकर प्रतिपरीक्षण में कथन करते हुये आरोपी की पहचान नहीं की है। यद्यपि इस साक्षी के कथन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय कुछ लोगों ने सुधराम के खेत में आकर अनिता को डण्डे से मारकर स्वेच्छया चोट पहुंचाई थी। उक्त तथ्य के अलावा साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन अपने साक्षी में नहीं किया है।

9— अनुसंधानकर्ता अधिकारी धरमचंद बघेले (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि दिनांक 10.04.2013 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये उसे अपराध क्रमांक 36/2013 अन्तर्गत धारा 294, 323, 34 भा.दं.वि. की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने फरियादी सुधराम की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-01 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आहत सुधराम एवं अनिता व साक्षी छोटेला के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 19.04.2014 को आरोपी धानूदास से जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-02 के अनुसार साक्षियों के समक्ष एक लकड़ी जप्त की थी जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी रिकूदास से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 के अनुसार एक लकड़ी जप्त की थी जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी धानूदास, रिकूदास और दिनेश को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-04 से लगायत प्रदर्श पी-06 तैयार किया था। साक्षी

के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्ड नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी अनुसंधानकर्ता के रूप में दी गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

10— अभियोजन की ओर से फरियादी व अन्य साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपीगण के द्वारा घटना के समय अश्लील शब्दों का उच्चारण किये जाने का तथ्य पेश नहीं किया है। अतएव साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने घटना के समय फरियादी सुधराम व अनिता को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया ।

11— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत फरियादी/आहत सुधराम (अ.सा.1) एवं अनिता (अ.सा.2) की साक्ष्य में इस तथ्य का खंडन नहीं हुआ है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को लकड़ी व हाथ-मुक्के से मारपीट किया था, जिससे उन्हें साधारण उपहति कारित हुई थी। आहतगण को उपहति कारित होने के संबंध में अन्य साक्षी छोटेलाल (अ.सा.3) ने भी अपनी साक्ष्य में समर्थन किया है। यद्यपि स्वतंत्र साक्षीगण ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में घटना का समर्थन करते हुये आरोपीगण के विरुद्ध साक्ष्य पेश नहीं की है। इस प्रकार फरियादी/आहत सुधराम एवं अनिता को घटना के समय आरोपीगण के द्वारा लकड़ी एवं हाथ-मुक्के से मारपीट कर उपहति कारित की गई थी। इस तथ्य का खंडन न होने से साक्षीगण के कथन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

12— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण तथ्य व परिस्थिति से प्रकट होता है कि आरोपीगण के द्वारा घटना के समय आहत सुधराम एवं अनिताबाई को प्रहार करते समय उसके पास प्रयुक्त साधन से आहतगण को चोट पहुंचाने का आशय विद्यमान था तथा वह इस संभावना को जानते थे कि उक्त साधन से निश्चित रूप से आहतगण को उपहति कारित होगी। इस प्रकार आरोपीगण के द्वारा किया गया कृत्य स्वेच्छया उपहति की श्रेणी में आता है। आरोपीगण के द्वारा घटना के समय आहतगण को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर आहतगण को उपहति कारित की गई थी। अतएव उक्त दोनों आहतगण सुधराम व अनिताबाई को

स्वेच्छया उपहति कारित करने के अपराध हेतु आरोपीगण समान रूप से जिम्मेदार है।

13— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने घटना के समय फरियादी सुधराम को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया। किन्तु अभियोजन ने यह युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी/आहत सुधराम व अनिताबाई को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उस सामान्य आशय के अग्रसरण में उक्त आहतगण को लकड़ी व हाथ-मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलस्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 के अन्तर्गत दोषमुक्त कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34(दो बार) के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

14— आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

15— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2013 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहे हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

16— मामले में आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। आरोपगण मामले में वर्ष 2013 से लगातार विचारण का सामना कर रहे हैं। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34(दो बार) के अपराध के अंतर्गत प्रत्येक आहत के लिए 1000/—, 1000/— (एक-एक हजार रुपये) अर्थात् प्रत्येक आरोपी को 2000/—(दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपीगण को एक-एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

17— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

18— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। अतएव उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत पृथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

19— प्रकरण में जप्तशुदा दो नग लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट